अध्याय 4
पूर्ति का समय और मूल्य

धारा 12 : माल की पूर्ति का समय

(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

(क) धारा 31 की [1][.....] के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक पूर्ति का समय, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण 1.—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्ति'' को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरण 2.—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है'', वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा–बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगा, अर्थात्:–

(क) माल प्राप्ति की तारीख; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परन्तु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) [2][.....]

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (1)'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा उपधारा (4) विलोपित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:
''किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,–

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,–

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसका कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या
(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।''